भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 804

09 फरवरी, 2022 को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों का पुनरूद्धार

804. श्री राकेश सिन्हा:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार देश में सहकारी समितियों का पुनरूद्धार करने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ख) देश में सहकारी आंदोलन में मुख्य बाधाएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार सहकारी समितियों को और अधिक समावेशी बनाने और 'मेक इन इंडिया' में शामिल लोगों से संबद्ध करने के लिए उनका पुनर्गठन करेगी; और

(घ) उन्हें और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क): देश में पहले से ही एक समृद्ध सहकारी विरासत और मजबूत सहकारी क्षेत्र है। देश में दो प्रकार की सहकारी संरचनाएँ अर्थात राज्य सहकारी समितियाँ और बहु-राज्य सहकारी समितियाँ हैं। किसी एक ही राज्य में कार्यरत सहकारी समितियाँ संबंधित राज्य सरकार के कानूनों द्वारा शासित होती हैं और एक से अधिक राज्यों में कार्यरत सहकारी समितियाँ केंद्रीय कानून, अर्थात् 'बहु-राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 39)' द्वारा शासित होती हैं। उनके प्रशासन से संबंधित किसी भी मुद्दे को संबंधित स्तरों पर निपटाया जाता है। तथापि, नए आयाम देने और नीति और अन्य हस्तक्षेपों के माध्यम से देश में सहकारी क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए, सरकार ने देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करने हेतु नया सहकारिता मंत्रालय बनाया है।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) 2018 के सांख्यिकीय प्रोफाइल के अनुसार, देश में 8.54 लाख सहकारी इकाइयां हैं। सहकारी समितियों के त्वरित और साम्यिक विकास

को प्रभावित करने वाले कुछ कारक, अन्य बातों के साथ-साथ, सहकारी इकाइयों में प्रभावी शासन, नेतृत्व और पेशेवर प्रबंधन की कमी, प्रौद्योगिकी अपनाने का निम्न स्तर हैं।

(ग): सहकारिता को जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले एक सच्चे जन-आधारित आंदोलन के रूप में गहन करने और 'मेक इन इंडिया' पर ध्यान देने के साथ ही सहकारिता आधारित अर्थव्यवस्था मॉडल विकसित करने के उद्देश्य के साथ नई राष्ट्रीय सहकारी नीति और योजनाओं का मसौदा तैयार किया जा रहा है। यह सहकारी समितियों के सभी विकास संबंधी मुद्दों को संबोधित करेगा। केंद्र सरकार के मंत्रालयों सहित हितधारकों से इनपुट/सुझाव मांगे गए हैं।

(घ): सहकारी समितियों को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए मंत्रालय ने हितधारकों के साथ प्रासंगिक हस्तक्षेपों यथा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस, लगभग 63000 सक्रिय प्राथमिक कृषि समितियों (पीएसीएस) का डिजिटलीकरण के बारे में परामर्श शुरु किया है ।

******